पत्र सं०–6 एस०एस०(6)01/2025– 289/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 22/01/2025.

XX
अनौपचारिक
रूप से

XX

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय:– **"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 440.00 लाख (रुपये चार करोड़ चालीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 440.00 लाख (रुपये चार करोड़ चालीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत व्यय विवरणी–"क", "ख" एवं "ग" संलग्न।

2. बिहार राज्य की लगभग 88 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और वे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि और पशुधन पर निर्भर करती है। इसलिए पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी, भेड़ और सूअर पालन के माध्यम से अंशकालिक से लेकर पूर्ण रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र दूध, अंडे, मांस और उनके विभिन्न उत्पादों जैसे बिक्री योग्य उत्पादों के दैनिक उत्पादन के कारण नियमित आय के बहुत अच्छा स्रोत प्रदान करता है। गरीबी में कमी, स्वरोजगार, किसानों की आय में वृद्धि करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहारा प्रदान करने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से पशुओं की गर्भ जाँच एवं पशु रोगों का ससमय निदान एक महत्वपूर्ण अवयव है। राज्य के पशु चिकित्सालयों में अभी पशुओं के आंतरिक अंगों की जाँच हेतु कोई विशिष्ट उपकरण उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में राज्य में 40 पशु चिकित्सालयों के माध्यम से 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इन पशु चिकित्सालयों में पशुओं की गर्भ जाँच तथा पशु रोगों के सही एवं त्वरित निदान हेतु अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

4. इस योजना के तहत राज्य में स्थापित/कार्यरत 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित कराया जाना प्रस्तावित है

ताकि राज्य के पशुपालकों के पशुओं को इन पशु चिकित्सालयों के माध्यम से बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशु चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पशुधन और कुक्कुट रोगों के निदान और निगरानी की क्षमता विकसित करना है ताकि पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

6. प्रत्येक अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए अनुमानित इकाई लागत रुपये 11.00 लाख (ग्यारह लाख) के आधार पर कुल 40 इकाई अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रय एवं संस्थापन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रुपये 440.00 लाख (रुपये चार करोड़ चालीस लाख) मात्र की लागत आकलित की गयी है।

7. प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से किया जायेगा। बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण करते हुए दर/आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण GeM Portal/निविदा के माध्यम से किया जायेगा। GeM Portal/निविदा के माध्यम से निर्धारित दर के आधार पर अल्ट्रासाउंड मशीन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

8. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि की एकमुस्त अग्रिम निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा तथा परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० के द्वारा राशि का नियमानुसार व्यय करते हुये व्यय प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा :–

   i) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0108 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403001010108.
   ii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0112 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007890112.
   iii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0131 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007960131.

10. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

11. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

12. दिनांक–14.01.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)01 / 2025 के पृष्ठ 10–09 / प०.

13. चूँकि यह नई योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)01 / 2025 के पृष्ठ–05 / टि० एवं दिनांक–17.01.2025.

14. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)01 / 2025 के पृष्ठ–4 / टि० तथा डायरी संख्या–19, दिनांक–15.01.2025.

15. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355 दिनांक–05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन
21/1/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01 / 2025– 289 / पटना–15, दिनांक–22 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01 / 2025– 289 / पटना–15, दिनांक–22 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01 / 2025– 289 / पटना–15, दिनांक–22 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार / सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01 / 2025– 289 / पटना–15, दिनांक–22 / 01 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा, लेखा शाखा एवं योजना शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01/2025– 289 /पटना–15, दिनांक–22/01/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ योजना शाखा–6 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01/2025– 289 /पटना–15, दिनांक–22/01/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)01/2025– 289 /पटना–15, दिनांक–22/01/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी–"क"

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

सामान्य घटक (विपत्र कोड–02–2403001010108)

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0108.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	367.40	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :–	**367.40**		

(रुपये तीन करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार मात्र)

21/1/25

सरकार के अपर सचिव

289
22/01/2025

व्यय विवरणी–"ख"

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड–02–2403007890112)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0112.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	70.30	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :–	**70.30**		

(रुपये सत्तर लाख तीस हजार मात्र)

सरकार के अपर सचिव

289
22/01/2025

व्यय विवरणी–"ग"

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड–02–2403007960131)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0131.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	2.30	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :–	**2.30**		

(रुपये दो लाख तीस हजार मात्र)

व्यय का सारांश

1	व्यय विवरणी–"क"	367.40
2	व्यय विवरणी–"ख"	70.30
3	व्यय विवरणी–"ग"	2.30
	कुल योग :–	**440.00**

(रुपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र)

21/1/25

सरकार के अपर सचिव

289
22/01/2025